1491
11/11/08

कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :- सर्वश्री डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल,जीवनतारा बिल्डिंग, 5 , पार्लियामेन्ट स्ट्रीट ,नई दिल्ली।

प्रा0प0सं0:- 388 / 2008

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17-10-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें Sleeping bags ,Tent & Tarpaulins पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा 59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नही हुआ अत: प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आंदेश पारित किया जा रहा है।

3- शिड्यूल -2 पार्ट-ए के क्रमॉक -121 पर निम्न प्रविष्टि है :-

" Tarpaulin "

अत: Tarpaulin पर 4% की दर से करदेयता है। सर्वश्री लघू उद्यौग भारती , 59 इण्डस्ट्रियल स्टेट , कालपी रोड, कानपुर प्रार्थना पत्र संख्या- 396 /08 मे कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा धारा- 59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनाक 11.11.08 मे टैक्सटाइल्स से निर्मित टेन्ट पर 4% की दर से करदेयता,टैक्सटाइल सें भिन्न वस्तु से निर्मित टेन्ट पर 12.5% की दर से व Sleeping bags पर 12.5% की दर से करदेयता निर्धारत की जा चुकी है। अत: टैक्सटाइल्स से निर्मित टेन्ट पर 4% , टैक्सटाइल्स से भिन्न वस्तु से निर्मित टेन्ट पर 12.5% , व Sleeping bags पर 12.5% की दर से करदेयता है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0 11-11-2008

दिनांक:: नवम्बर 11, 2008

(अनिल संत)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रति ... लिपि
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ